

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 74 / 2013
संस्थान दिनांक 26.02.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

मदन पिता रीछू, आयु 56 वर्ष,
निवासी-कनासपुरा, ग्राम बरूफाटक
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 31.03.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 74 / 2013 अंतर्गत 354, 454, 506 भा.द.सं. में दिनांक 26.02.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 15.02.2013 को समय शाम 6:00 बजे, बरूफाटक कनासपुरा, फरियादिया के मकान पर फरियादिया जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने, फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से जो कारावास से दंडनीय अपराध है, को करने के लिये फरियादिया के घर में जो मानव निवास की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, में प्रवेश करके प्रच्छन्न गृह भेदन कारित करने तथा फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में धारा 354, 454, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया का पति हीरालाल महाराष्ट्र के पुना शहर मजदूरी करने गया हुआ था। घटना दिनांक 15.02.2013 को फरियादिया घर पर अकेली थी कि शाम को लगभग 6:00 बजे, उसके मकान के पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त आया और फरियादिया के घर के अंदर घुस गया और एकदम से अभियुक्त ने फरियादिया का दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और फरियादिया की छाती दबाने

लगा, तब फरियादिया द्वारा चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसका मुँह दबा दिया और कहा कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देगा। फरियादिया की आवाज सुनकर उसकी सास जमुनाबाई आ गई तो अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। फरियादिया ने घटना उसकी सास जमुनाबाई एवं ससुर जयराम को बताई। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/2013 अंतर्गत धारा 354, 454, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की थी। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादिया की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने फरियादिया के पेश करने पर कॉच की चुड़ियों के टुकड़े जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त मदन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 4 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान फरियादिया व साक्षीगण जयराम, जमुनाबाई व भारत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त मदन के विरुद्ध धारा 354, 454, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.02.2013 को समय शाम 6:00 बजे, बरूफाटक कनासपुरा, फरियादिया के मकान पर फरियादिया जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से जो कारावास से दंडनीय अपराध है, को करने के लिये फरियादिया के घर में जो मानव निवास की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, में प्रवेश करके प्रच्छन्न गृह भेदन कारित किया ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया प्रमिलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), जमुनाबाई (अ.सा.2), जयराम (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट (अ.सा.4), मंशाराम (अ.सा.5) एवं सहायक उपनिरीक्षक लखनलाल मालवीय (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं के तथा साक्षी मदन पिता कानाली के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादिया अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि लगभग ढेड़ वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे वह घर पर अकेली थी, उसका पति घटना के 15 दिवस पूर्व महाराष्ट्र के पुना शहर में मजदूरी करने गया था। अभियुक्त उसे अकेली देख उसके घर के अंदर घुस गया तथा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और छाती भी दबाई। उसके चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसका मुँह दबा दिया तथा चिल्लाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास जमुनाबाई आ गई तब अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया था तथा घटना उसने उसके ससुर जयराम को बताई तथा रिपोर्ट करने सास-ससुर को लेकर थाना ठीकरी पर गई थी, जहाँ उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पर अपना अंगूठा निशानी होना भी स्वीकार किया तथा रिपोर्ट के तथ्यों की सत्यता को भी स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसे ठीकरी अस्पताल ईलाज के लिए भेजा था। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 है। पुलिस को उसने लाल एवं हरे रंग के चुड़ी के टुकड़े जप्त करवाये थे जो प्रदर्शपी 3 है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है, उसे घटना का दिन, दिनांक व वर्ष नहीं पता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त का मकान उसके घर के सामने है। उसकी अभियुक्त से घटना के पूर्व से बोलचाल बंद है, लेकिन कितने समय से बंद है वह नहीं बता सकती है। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके ससुर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के आसपास अन्य व्यक्तियों के मकान है, जिनके नाम उसे नहीं मालूम। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ा था, उस समय वहाँ पर कोई नहीं था और अभियुक्त ने उसका हाथ घर के अंदर पकड़ा था। साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना की रिपोर्ट उसी दिन

शाम को मौखिक की थी। पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके ससुर के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण 8-10 वर्ष पूर्व चला था और उक्त रिपोर्ट अभियुक्त ने लिखाई थी, तभी से उनके मध्य बोलचाल बंद है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य रिपोर्ट लिखाई है।

8. जमुनाबाई अ.सा. 2 ने भी उनकी बहू फरियादिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर पर जाने और अभियुक्त के फरियादिया के घर से निकलर भागने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि फरियादिया ने उसे बताया कि अभियुक्त घर के अंदर घुस गया था और बुरी नियत से हाथ पकड़ा था और छाती दबाई थी तथा जान से खत्म करने की धमकी दी थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उसके पति को बाद में घटना बताई थी और वे दोनों फरियादिया के साथ रिपोर्ट करने थाना ठीकरी पर आये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे घटना का दिन, दिनांक व वर्ष नहीं पता, वह पढ़ी-लिखी नहीं है। घटना के समय वह अपने घर पर थी और फरियादिया के चिल्लाने पर वह दौड़ी थी। इस साक्षी ने भी स्वीकार किया कि उसके पति एवं अभियुक्त की बोलचाल घटना के पूर्व से बंद है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके सामने फरियादिया का हाथ नहीं पकड़ा था। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह घर पर गई थी तब अभियुक्त ने फरियादिया का हाथ पकड़कर रखा था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया था कि फरियादिया का मुँह अभियुक्त ने दबा दिया था, इस कारण चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि मुँह पर से हाथ छोड़ने पर चिल्लाने की आवाज आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आसपास बंशीलाल, मंशाराम, अमरसिंह का मकान है लेकिन यह व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं आये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के 3-4 वर्ष पूर्व अभियुक्त ने उसके पति के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके बाद दोनों आपस में अच्छे से रहने लगे गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी बहू ने अपनी चुड़ियों खुद तोड़ी थी और वह अपनी बहू के कहने से अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रही है।

9. जयराम अ.सा. 3 ने भी फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादिया द्वारा उसे अभियुक्त के घर में घुसकर उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ने और छाती दबाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे उसकी बहू ने यह बताया कि अभियुक्त ने उसका मुँह दबा दिया था और चिल्लाने पर जान से मार डालने का कहा था। फरियादिया ने उसे यह भी बताया था कि चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास जमुनाबाई आई तो अभियुक्त भाग गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने अभियुक्त को मदिरा विक्रय करने के मामले में गिरफ्तार किया था। घटना के 8-10 वर्ष पूर्व से उनकी अभियुक्त से

बातचीत बंद है क्योंकि उसके विरुद्ध अभियुक्त ने रिपोर्ट लिखाई थी। अभियुक्त उनकी जाति-समाज का है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने घटना नहीं हुई और घटना की जानकारी फरियादिया ने उसे शाम 6:30 बजे दी थी। उसके घर के आसपास रहने वाले कोई भी नहीं आये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त से उसकी बोलचाल बंद है, इस कारण उसके विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है।

10. मंशाराम अ.सा. 5 ने भी पुलिस द्वारा फरियादिया के साथ हुई छेड़छाड़ करने के संबंध में पूछताछ करने और चुड़ी के टुकड़े प्रदर्शपी 3 के अनुसार उसके सामने जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि इस घटना के पूर्व भी उनका एवं अभियुक्त का विवाद 4-5 वर्ष पूर्व हुआ था तब से उनकी एवं अभियुक्त की बातचीत बंद है। उसने जप्ती पंचनामों पर हस्ताक्षर जब गाँव में पुलिस आई थी तब किये थे और जप्त चुड़िया आसमानी रंग की थीं।

11. सहायक उपनिरीक्षक लखनलाल मालवीय अ.सा. 6 ने दिनांक 15.02.2013 को फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 26/2013 प्रदर्शपी 1 का दर्ज करने और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादिया को चिकित्सा हेतु ठीकरी चिकित्सालय भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादिया ने मौखिक रिपोर्ट की थी और उस पर उसने अंगूठा लगाया था। फरियादिया ने घटना दिनांक 15.02.2013 को शाम लगभग 6:00 बजे होना बताई थीं और रिपोर्ट रात्रि लगभग 9:45 बजे की थी। उसके साथ सास-ससुर और गाँव का भारत था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादिया को रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादिया को कहाँ चोट थी यह रिपोर्ट में नहीं बताया है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में चोटें थी।

12. सहायक उपनिरीक्षक शिवराम जाट अ.सा. 4 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 26/2013 की विवेचना के दौरान फरियादिया के बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने तथा फरियादिया एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा फरियादिया के पेश करने पर कौच की चुड़ियां आसमानी, पीले, हरे एवं लाल रंग के 9 टुकड़े प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास अन्य व्यक्तियों के मकान हैं जिनमें बंशीलाल, चमारसिंग एवं मंशाराम भी हैं। उसने उन व्यक्तियों के कथन साक्षियों के रूप में नहीं लिये थे क्योंकि उन्होंने घटना के संबंध में बताने से इंकार कर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों को जप्ती पंचनामा पढ़कर नहीं सुनाया था अथवा जप्ती पंचनामा थाने पर बैठकर बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादिया तथा जमुनाबाई सास-बहू हैं तथा जयराम उसका ससुर है।

13. अभियुक्त मदन ने द.प्र.स. की धारा 315 के प्रावधान के तहत स्वयं का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया है। उसका यह कथन है कि वह फरियादिया और उसके सास-ससुर को जानता है जो उसके मोहल्ले में रहते हैं। उसकी व फरियादिया के परिवार से 5-6 वर्षों से बोलचाल बंद है क्योंकि उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना ठीकरी पर की थी और उसके कथनों के आधार पर जयराम को न्यायालय से सजा हुई थी। उसने फरियादिया के साथ कोई भी घटना कारित नहीं की थी। फरियादिया ने उसे रंजिशवश मिथ्या फंसाया है। वर्ष 2009 में जयराम के विरुद्ध तहसील न्यायालय में प्रकरण चला था। वर्ष 2009 में उक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, वह अस्पताल में भर्ती रहा था, उसका ईलाज हुआ था उक्त ईलाज की पर्चियाँ वह अपने साथ लाया है जो प्रदर्शनी 1 लगायत 5 है। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन वह फरियादिया के मकान के अंदर घुस गया था और फरियादिया का हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था और चिल्लाने पर मुँह दबा दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसकी एवं फरियादिया की घटना के पूर्व अच्छी बोलचाल थी।

14. मदन पिता बालाजी ब.सा. 2 का कथन है कि वह फरियादिया एवं अभियुक्त को जानता है। फरियादिया पक्ष से अभियुक्त की 8-10 वर्षों से बोलचाल बंद है। इस घटना के पूर्व अभियुक्त एवं जयराम का विवाद हुआ था जिसमें अभियुक्त की रिपोर्ट के आधार पर जयराम को सजा हुई थी। इस कारण उनकी बातचीत बंद है और रंजिश है। अभियुक्त के विरुद्ध जयराम की बहू ने मिथ्या रिपोर्ट की है। उसका मकान फरियादिया के मकान के पास है। अभियुक्त ने फरियादी का हाथ नहीं पकड़ा था और कोई भी गाली-गलोच नहीं की थी। अभियोजन की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह फरियादिया के मकान से 200 फीट की दूरी पर रहता है। उसकी कृषि भूमि है वह खेत में प्रातः एवं शाम हो जाता है तथा खेत से शाम के 4, 5 व 7 बजे जैसे भी काम निपटता है, वह घर आता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि 2 वर्ष पूर्व उसे गाँव में यह पता चला कि अभियुक्त ने जयराम के घर में घुसकर उसकी बहू का दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त एवं फरियादिया के ससुर के मध्य पुराने विवाद को लेकर रंजिश है। इस कारण फरियादिया ने मिथ्या रिपोर्ट की है। घटना का कोई स्वतंत्र एवं चश्मदीद साक्षी नहीं है तथा अभियोजन साक्षी एक ही परिवार के सदस्य है।

16. यह सही है कि फरियादिया के ससुर और अभियुक्त के मध्य पूर्व में विवाद हुआ था तथा उक्त विवाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्त की रिपोर्ट के आधार पर फरियादिया के ससुर को दोषसिद्ध भी किया गया है जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से तर्क के दौरान प्रस्तुत की गई है, लेकिन उक्त आपराधिक प्रकरण में फरियादिया अभियुक्त नहीं है तथा फरियादिया स्वयं ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि वह अपने सास एवं ससुर से पृथक् निवास करती है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह अभिवाक् स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि अपने ससुर से हुए विवाद के कारण फरियादिया अभियुक्त के विरुद्ध स्वयं की लज्जा का अनादर करने का झूठा आक्षेप लगायेगी, क्योंकि अभियोजन साक्षी जमुनाबाई अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया कि उसके बाद वे लोग आपस में अच्छे से रहने लगे थे। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का रंजिश वाला अभिवाक् विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यदि तर्क के लिए अभियुक्त की फरियादिया के ससुर से रंजिश होना मान भी ली जाये तो यह भी उपधारणा की जा सकती है कि उक्त रंजिश के कारण अभियुक्त ने फरियादिया के साथ यह अपराध कारित किया है।

17. अभियुक्त द्वारा फरियादिया के घर में घुसकर बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ने और छाती दबाने के संबंध में फरियादिया अ.सा. 1 के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी आवाज सुनकर उसकी सास आ गई तभी अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। जमुनाबाई अ.सा. 2, जयराम अ.सा. 3 तथा मंशाराम अ.सा. 5 के कथन से भी फरियादिया के कथनों की पुष्टि होती है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद लगभग 3 घंटे के भीतर थाना ठीकरी पर दर्ज कराई गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 के अनुसार थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है तो ऐसी स्थिति में घटना के लगभग 3 घंटे के भीतर 17 किलोमीटर दूर स्थित थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट उचित समय पर लिखाई गई है और प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट फरियादिया को पढ़ाकर सुनाने पर उसने रिपोर्ट सही होना भी स्वीकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि रिपोर्ट उसके ससुर ने की थी।

18. सहायक उपनिरीक्षक लखनलाल मालवीय अ.सा. 6 ने इस घटना की रिपोर्ट फरियादिया के कहे अनुसार लिखना बताया है तथा सहायक उपनिरीक्षक शिवराम अ.सा. 4 ने अपराध की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाने और प्रदर्शपी 5 के अनुसार फरियादिया के पेश करने पर कॉच की चुड़ियों के टुकड़े जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। परीक्षित किसी भी साक्षी के कथन में ऐसा कोई विरोधभास एवं विसंगति नहीं आई है, जिससे अभियोजन की कथा को अविश्वसनीय माना जाये। जहाँ तक अभियोजन के समस्त साक्षीगण फरियादिया के रिश्तेदार होने का प्रश्न है वहाँ यह उल्लेखनीय है कि घटना शाम लगभग 6:00 बजे फरियादिया के घर के

अंदर घटित हुई और उसे चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास जमुनाबाई अ.सा. 2 आ गई, जिसने अभियुक्त को फरियादिया के घर से निकलकर जाते हुए देखा और बचाव पक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्न में साक्षी ने स्पष्ट किया कि जब वह घर पर गई थी तब अभियुक्त ने फरियादिया का हाथ पकड़कर रखा था। शिवराम जाट अ.सा. 4 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया कि घटनास्थल के आसपास जिन व्यक्तियों के कथन नहीं लिये थे, क्योंकि उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी होने से इंकार किया है।

19. यह भी उल्लेखनीय है कि किसी महिला के साथ उसकी लज्जा का अनादर करने या उस पर लैंगिक हमले की घटनाएँ आमतौर पर फरियादिया के साथ एकांत में ही घटित होती हैं जिसके साक्षीगण केवल फरियादिया से परिचित या रिश्तेदार भी हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त हितबद्ध साक्षी घटना के वास्तविक साक्षी होते हैं और केवल फरियादिया से हितबद्धता के कारण उन्हें अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है इस संबंध में न्यायदृष्टांत हरिराम विरुद्ध उ.प्र. राज्य, 2004 (8) एस.सी.सी. 146 अवलोकन योग्य है।

20. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने पर पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.02.2013 को शाम लगभग 6:00 बजे ग्राम बरुफाटक कनासपुरा में फरियादिया जो कि एक स्त्री है, के घर में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके निवास स्थान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार किया तथा उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसकी छाती दबाकर उसकी लज्जा का अनादर किया, जो कि भादस की धारा 454, 354 का अपराध है। अतः अभियोजन उक्त अपराधों को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त मदन पिता छीतु को भादस की धारा 454, 354 में दोषसिद्ध घोषित करता है।

21. जहाँ तक भा.द.स. की धारा 506 भाग-2 का प्रश्न है फरियादिया स्वयं या किसी भी अभियोजन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से फरियादिया भयभीत हो गई थी अथवा उसे अभित्रास कारित किया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भादस की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

22. समाज में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति इस तरह के अपराध को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:

23. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त लगभग 60 वर्ष की आयु का होकर ग्रामीण, अशिक्षित एवं निर्धन व्यक्ति है। उसने विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

24. यह सही है कि अभियुक्त लगभग 60 वर्ष की आयु का है और प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित रहा है। इस कारण प्रकरण का निराकरण शीघ्रतापूर्वक हुआ है लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से एक महिला को घर में अकेला देखकर उस पर लैंगिक हमला किया, जिसे देखते हुए अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त मदन पिता छीतु, निवासी ग्राम बरुफाटक को भा.द.स. की धारा 354 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करता है तथा रुपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अभियुक्त अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह का सश्रम कारावा पृथक से भुगतेगा। इसी प्रकार अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 454 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करता है तथा रुपये 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अभियुक्त अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह का सश्रम कारावा पृथक से भुगतेगा। उक्त दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई कारावास की सजा दी गई सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें रुपये 1000/- अपील अवधि पश्चात् फरियादी प्रमिलाबाई को द.प्र.स. की धारा 357 के प्रावधान अनुसार दिये जाये।

25. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।

26. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क दी जाये।

27. प्रकरण में जप्तशुदा चुड़ी के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 74/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध मदन) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- मदन पिता रीछू, आयु 56 वर्ष,
निवासी—कनासपुरा, ग्राम बरूफाटक
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 16.02.2013

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 16.02.2013 से दिनांक 28.02.2013

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 12 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला-बड़वानी, म0प्र0